POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 10.06.2026

1.थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल फोन स्नैचिंग करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल, स्नैचिंग किये हुए 21 मोबाइल फोन व 02 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 10.06.2026 को थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से मोबाइल फोन स्नैचिंग करने वाले 02 अभियुक्त 1.लोकेश पुत्र दयाराम 2.प्रदीप उर्फ भिर्री पुत्र राधेश्याम को प्लाट सेक्टर-55, नोएडा के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर रजि0 नं0 यूपी51डब्लू2904, नोएडा/एनसीआर के अलग-अलग क्षेत्रो से स्नैच किये गये 21 मोबाइल फोन व 02 अवैध चाकू बरामद हुए है।

घटनाक्रम का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी एवं नशा करने के आदी है। यह लोग मोबाइल फोन स्नैच कर दिल्ली ले जाकर बेच देते है। अभियुक्तगण द्वारा बरामद मोटरसाइकिल को जनपद गाजियाबाद से चोरी किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना खोडा, जनपद गाजियाबाद पर मु0अ0सं0-616/2020 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। इनके द्वारा दिनांक 20.03.2026 को सेक्टर-59, मेट्रो स्टेशन के पास से मोबाइल फोन स्नैच करके दिल्ली में बेच दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर-58, नोएडा पर मु0अ0सं0- 177/2026 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है। एक मोबाइल (आईफोन-16) दिनांक 11.05.2026 को सेक्टर-12/22 चौडा मोड़ से छीना गया था, जिसे दिल्ली में बेच दिया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर-24, नोएडा पर मु0अ0सं0 254/2026 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है तथा शेष मोबाइल फोन को नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली व आस-पास के क्षेत्रो से स्नैच करना बताया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. लोकेश पुत्र दयाराम निवासी शांतिकुज कॉलोनी, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर मूल पता गांव मडकावली, थाना गुन्नौर, जिला बदायूं उम्र करीब 22 वर्ष।
2. प्रदीप उर्फ भिर्री पुत्र राधेश्याम निवासी शांतिकुज कॉलोनी, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर मूल पता मिरैची, थाना मिरैची, जिला कासगंज उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

A.अभियुक्त लोकेश--

1. मु0अ0सं0- 616/2020 धारा 379 भादवि थाना खोडा, जिला गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0- 177/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा।
3. मु0अ0सं0- 254/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24, नोएडा।
4. मु0अ0सं0- 188/26 धारा 317(2), 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-58, नोएडा।
5. मु0अ0सं0- 481/2024 धारा 305(ए) बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा।
6. मु0अ0सं0- 035038/2024 डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली।

B.अभियुक्त प्रदीप उर्फ भिर्री--

1. मु0अ0सं0- 616/2020 धारा 379 भादवि थाना खोडा, जिला गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0- 177/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा।
3. मु0अ0सं0- 254/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24, नोएडा।
4. मु0अ0सं0- 188/26 धारा 317(2), 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-58, नोएडा।
5. मु0अ0सं0- 326/2019 धारा 380, 411 भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा।
6. मु0अ0सं0- 790/2019 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0- 792/2019 धारा 411 भादवि थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0- 257/2022 धारा 398, 411 भादवि थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
9. मु0अ0सं0- 259/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
10. मु0अ0सं0- 261/2022 धारा 414 भादवि थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
11. मु0अ0सं0- 487/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी की एक मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी51डब्लू-2904 (मु0अ0सं0-616/2020 धारा 379 भादवि थाना खोडा, जिला गाजियाबाद)
2. 21 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी के (स्नैचिंग के)
3. 02 अवैध चाकू

2.थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से स्नैच किये हुए 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध चाकू, घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 10.06.2026 को थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से 02 अभियुक्त 1.अफजल पुत्र मुन्ने खाँ 2.साहिल पुत्र हारुण को चौगानपुर से ACE CITY की तरफ जाने वाले सीएनजी पम्प वाली सर्विस रोड़ के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से स्नैच किये हुए 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध चाकू, घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल हुए है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अफजल पुत्र मुन्ने खाँ निवासी ऊपर कोट, थाना ऊपर कोट जिला अलीगढ़ उम्र 19 वर्ष।
2. साहिल पुत्र हारुण निवासी ग्राम न्योरई, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा उम्र 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 233/26 धारा 304/317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ईकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 313/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना नंदग्राम, गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त चोरी की स्पलेन्डर रजि0नं0 UP-14-DM-3799
2. स्नैच किये हुए 02 मोबाइल
3. दो अवैध चाकू